संख्या: 2/2020/564/चौंतीस-लो0शि0-05/2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लोक शिकायत अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक : 02 नवम्बर, 2020

विषय: शासनादेश संख्या-1/2020/129/चौंतीस-लो0शि0-05/2020-05लो0शि0/2019 दिनांक 17 फरवरी, 2020 के प्रस्तर 10(ख)(ii) में आंशिक संशोधन विषयक|

महोदय,

आप अवगत हैं कि जनसुनवाई-समाधान प्रणाली (IGRS) से आमजन की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। अधीनस्थों द्वारा निस्तारित शिकायतों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु माह में रैंडम आधार पर 30 सन्दर्भों का श्रेणीकरण किए जाने की व्यवस्था शासनादेश सख्या- 1/2020/129/चौंतीस-लो0शि0-05/2020-05लो0शि0/2019 दिनांक 17 फरवरी, 2020 के प्रस्तर 10(ख)(ii) में की गई है|

2- शासनादेश के उक्त प्रस्तर में यह निर्देश दिए गए थे कि सभी उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह "रैंण्डम आधार पर श्रेणीकरण हेतु सन्दर्भ" मेंन्यू विकल्प में उपलब्ध न्यूनतम 30 सन्दर्भों का श्रेणीकरण स्वयं के स्तर से पत्रावली पर परीक्षण करने के उपरान्त किया जाएगा किन्तु यह पाया गया कि कतिपय विभागों में मासिक निर्धारित लक्ष्य 30 से कई गुना अधिक सन्दर्भों का श्रेणीकरण किया जा रहा है। विभागों द्वारा इतनी अधिक संख्या में श्रेणीकरण किये जाने से आमजन को निस्तारित सन्दर्भों पर फीडबैक देने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अत्याधिक संख्या में श्रेणीकरण किये जाने से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि श्रेणीकरण की कार्यवाही पत्रावली पर परीक्षण कर नहीं की जा रही है|

3- सम्यक विचारोपरांत "रैंण्डम आधार पर श्रेणीकरण हेतु सन्दर्भ" मेंन्यू विकल्प में उपलब्ध सन्दर्भों के मासिक श्रेणीकरण की अधिकतम सीमा को भी निर्धारित करते हुए इसे अधिकतम 50 सन्दर्भ प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है| इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अब सभी उच्चधिकारियों द्वारा प्रतिमाह "रैंण्डम आधार पर श्रेणीकरण हेतु सन्दर्भ" मेन्यू विकल्प में उपलब्ध न्यूनतम 30 सन्दर्भ एवं अधिकतम 50 सन्दर्भों का श्रेणीकरण स्वयं के स्तर से पत्रावली पर परीक्षण करने के उपरान्त किया जाएगा|**

4- कृपया शासनादेश संख्या- 1/2020/129/चौंतीस-लो0शि0-05/2020-05लो0शि0/2019 दिनांक 17 फरवरी, 2020 के प्रस्तर 10(ख)(ii) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए| शेष यथावत रहेगा|

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।~~
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 02/2020/564(1) /चौंतीस- लो0शि-05/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश|
6. समस्त उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त कुल सचिव, चिकित्सा, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0 आई0 सी0।
10. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव, मुख्यमंत्री।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।